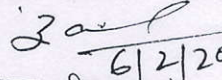


मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग,
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
// संशोधित आदेश //

भोपाल, दिनांक 06/02/2018

क्रमांक: एफ 3-22/2013/26-2: इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्र0 3-22/2013/26-2 दिनांक 11/1/2018 द्वारा निःशक्त छात्र-छात्राओ को उच्च शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निःशक्त छात्र-छात्राओ को लेपटाप एवं मोटराइज्ड ट्रायसाइकिल (बैटरी चलित) मुख्यमंत्री दिये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के उपर्युक्त निर्देशो के परिपेक्ष्य में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, माहविद्यालय पोलिटेक्निक साथ ही मान्यता प्राप्त अनुदानित संस्था, अशासकीय स्कूलों में प्रवेश लेने पर एवं दिव्यांग विद्यार्थी जिस जिले की संस्था में प्रवेश लेने पर संबंधित जिले द्वारा ही उक्त योजनांतर्गत कार्यवाही की जावेगी। शेष शर्तें मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2013 अनुसार रहेगी।


6/2/2018
(अलका श्रीवास्तव)
अपर सचिव

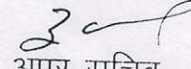
मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
भोपाल, दिनांक 06/02/2018

पृ. क्रमांक: एफ 3-22/2013/26-2
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव, कार्यालय मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन. वित्त विभाग।
4. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग।
5. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश भोपाल।
7. आयुक्त कोष एवं लेखा पर्यावास भवन भोपाल म0प्र0।
8. विशेष सहायक मान0 मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण।
9. सलाहकार, राज्य योजना आयोग विन्ध्याचल भवन भोपाल।
10. समस्त कलेक्टर, जिला (म0प्र0)
11. संबंधित सयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय म0प्र0।
12. संबंधित कोषालय, अधिकारी।
13. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग कल्याण विभाग